छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 333 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02468**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''ओरियन'', प्रमोटर–मनाक्ष्य बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा– श्री अनिल अग्रवाल, पता–भू–तल, पथमेश हाईट्स लेन–6, महेश कॉलोनी, गुढ़ियारी, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–'' ओरियन'' पता–गुढ़ियारी, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
04/09/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''ओरियन'' पंजीयन क्रमांक– **PCGRERA121218000868** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 12.12.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 30.06.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ..ग द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 09.07.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वैधता दिनाँक 30.06.2023 को समाप्त हो गयी है। अनावेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से प्रोजेक्ट को बंद करने हेतु प्रकाशित किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, तो 07 दिवस के भीतर व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। उसके पश्चात् आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 10.08.2021 के	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 333 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02468**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''ओरियन'', प्रमोटर–मनाक्ष्य बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा–
श्री अनिल अग्रवाल, पता–भू–तल, पथमेश हाईट्स लेन–6, महेश कॉलोनी,
गुढ़ियारी, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–'' ओरियन'' पता–गुढ़ियारी, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	परिपालन में अनावेदक द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि रूपये 50,000/– को चालान के माध्यम से दिनाँक 03.09.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट को आदेश दिनाँक 10.08.2021 से निलंबित किया जा चुका है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण में रजिस्ट्रार विधिवत् revocation of registration के लिये कार्यवाही करे। तदुपरांत नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य	